



उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Transmission Corporation Limited

(A Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

Electricity Transmission Division- Ghazipur.
220 KV S/S Talwal Hydly Colony Ghazipur
Pin 233002

E-mail- eeetd2var@upptcl.org
Mob. 9415311047

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
विद्युत प्रेषण खण्ड गाजीपुर
220 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र तलवल
हाइडिल कालोनी गाजीपुर
पिन 233002

पत्रांक 1705 वि०प्र०ख०-गा०)/

दिनांक 28/07/2022

विषय:- 400 के०वी० अनपरा वाराणसी डबल सर्किल विद्युत परेषण लाईन के लीज नवीनीकरण प्रस्ताव (FP/UP/TRANS/32650/2018) में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा लगाये गये कमियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

प्रभागीय वनाधिकारी,
ओबरा वन प्रभाग,
ओबरा सोनभद्र।

सन्दर्भ:- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ के कार्यालय के पत्रांक-3393/11-सी दिनांक-31.05.2022 तथा आपके कार्यालय का पत्रांक-3021 /ओबरा/15 भू०ह० दिनांक-16.06.2022.

महोदय,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ के उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के सम्बन्ध में भारत सरकार के पत्र दिनांक-29.01.2018 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही, दण्डात्मक एन०पी०वी० की गणना, दण्डात्मक एन०पी०वी० जमा किये जाने की वचनबद्धता एवं अन्य सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि 400 के०वी० अनपरा -वाराणसी डबल सर्किल विद्युत परेषण लाईन के निर्माण हेतु 31.9.28 हे० वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार के पत्र संख्या-08-197/91-एफ०सी०, दिनांक-01.11.1993 द्वारा गैरवानिकी कार्य हेतु उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद (वर्तमान में उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०) को हस्तान्तरित किया गया था, जिसमें कोई समय सीमा वर्णित नहीं है। भारत सरकार के उक्त पत्र के क्रम में संयुक्त सचिव उ०प्र० शासन के आदेश संख्या-जी०आई० 444/14-2-93-707/89 दिनांक- 08/23 फरवरी 1994 में उपरोक्त विषयक परियोजना 20 वर्षों के लिए लीज पर हस्तान्तरित किये जाने का उल्लेख किया गया है। संयुक्त सचिव उ०प्र० शासन के आदेश पत्र के बिन्दु संख्या 03 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया है। "उक्त भूमि उ०प्र०रा०वि०प० (वर्तमान में उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०) के उपयोग में पट्टा अवधि के अन्दर तब तक बनी रहेगी जब तक कि उ०प्र०रा०वि०प० (वर्तमान में उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०) को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता बनी रहेगी।"

तत्क्रम में वर्ष 2014 में लीज समाप्ति के पश्चात तत्काल इस कार्यालय द्वारा उक्त वन भूमि को लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव तैयार कर सम्बन्धित वन प्रभाग के माध्यम से उच्च स्तर पर प्रेषित किया गया। लीज नवीनीकरण प्रक्रिया जटिल होने तथा कोई स्पष्ट गाईडलाईन संज्ञानित न होने के कारण लीज नवीनीकरण प्रक्रिया में समय लग रहा है। इसलिए उक्त परियोजना के लीज नवीनीकरण प्रक्रिया में प्रक्रियात्मक विलम्ब हुआ है, जिसमें किसी अधिकारी/कर्मचारी का दोष नहीं है।

आपके संज्ञान में यह भी लाना है कि वर्ष 2014 में लीज समाप्ति के पश्चात भी इस कार्यालय द्वारा उक्त भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु उक्त भूमि का उपयोग किये जाने को वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन की श्रेणी में माना गया है जब कि भारत सरकार की उल्लंघन से सम्बन्धित गार्ड लाईन दिनांक-29.01.2018 नये वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु अनुमति से सम्बन्धित है न की पूर्व में दिये गये अनुमति से क्योंकि उक्त परियोजना उक्त वन भूमि पर वर्ष 1994 से बनी है, जिसे वर्ष 2014 में लीज अवधि समाप्त होने के पश्चात उक्त वन भूमि से हटाया नहीं जा सकता है। उ0प्र0रा0वि0प0 (वर्तमान में उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0) को उक्त वन भूमि के उपयोग की आवश्यकता अभी भी है, जिस कारण उक्त वन भूमि को उ0प्र0 सरकार से पुनः लीज पर लेने तथा पट्टा कराने हेतु लीज नवीनीकरण प्रस्ताव को सम्बन्धित वन प्रभाग में वर्ष 2014 में जमा कर दिया गया था। लीज समाप्ति वर्ष 2014 के पश्चात उक्त वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु उपयोग किये जाने के फलस्वरूप (वर्ष 2014 में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित नये सर्किल दर से) सम्बन्धित वन प्रभागों से लीज रेंट मांग पत्र के अनुसार लीज रेंट भी ससमय जमा किया जाता रहा है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि उक्त परियोजना में नयी वन भूमि का उपयोग नहीं किया गया है तथा भारत सरकार द्वारा वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति में कोई समय सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत परियोजना का लीज समाप्ति होने के उपरान्त वन भूमि के उपयोग को वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन न मानते हुए दण्डात्मक एन0पी0वी0 न लगाया जाना न्यायोचित होगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि प्रस्ताव को उ0प्र0 शासन को प्रेषित करने की कृपा करें, जससे कि उ0प्र0 शासन द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या-08-197/91-एफ0सी0, दिनांक-01.11.1993 द्वारा तत्समय में जारी अनुमति पर विचार करते हुए, आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही किया जा सके।


(एस0के0सिंह)
अधिशायी अभियन्ता

पत्रांक. वि0प्रे0खं-(गा0) दिनांक.
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मुख्य अभियन्ता (पा0उ0पू0), 132 के0वी0 उपकेन्द्र मोहददीपुर, गोरखपुर।
2. मुख्य अभियन्ता (परि0 एवं कय) 13वा तल उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
3. अधीक्षण अभियन्ता वि0प्रे0मं0, गाजीपुर।

(एस0के0सिंह)
अधिशायी अभियन्ता